

[Shri Alvares]

raised the question of defence and of the necessity of being aware of it. I am sorry that Mr. Bhattacharyya could characterise that as playing to the gallery. Now that he has subsequently withdrawn that remark, I think, it will be proper for you to review the question of the suspension of Mr. Hem Barua.

Mr. Speaker: It cannot be done in this manner. Mr. Banerjee.

Shri S. M. Banerjee: It appears from the replies... .

Mr. Speaker: When a decision has been taken by the House, I might make it clear that unless the Member expresses regret, there is no question of my putting the same question to the House at any moment.

12.37 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER
OF URGENT PUBLIC
IMPORTANCE—*contd.*

(i) FIRING BY PAKISTANI TROOPS ON
THE CHIEF MINISTER OF PUNJAB AND
PARTY FROM ACROSS THE CEASEFIRE
LINE—*contd.*

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): Sir, I would like to know from the hon. Minister if no security could be given to the Chief Minister of Punjab though his programme was better known to the Punjab Armed Constabulary forces which were posted there. I would like to know what steps have been taken to safeguard the interests of those who are in the border area and whether they have been given adequate arms and ammunition.

Shri A. M. Thomas: The security was given to the Chief Minister. But, of course, this firing was quite unprovoked. There is no doubt about that. With regard to the arming of the people on the frontier, we have got the troops there and we have also got the Punjab Armed Police stationed there.

Mr. Speaker: That is all. We shall now take up the Privilege Motion tabled by Mr. Ram Sewak Yadav. Shri Ram Sewak Yadav.

Some hon. Members rose—

Mr. Speaker: Order, order. The Members shall resume their seats.

श्री श्रीकारलाल बेरवा (कोटा): सारे नाम नोटिस में दिये हुए हैं।

श्री गुलशन (भटिंडा): अध्यक्ष महोदय, यह पंजाब का मामला है सारे नाम उसमें दर्ज हैं और जिनके नाम दर्ज हैं उनको बुनाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है पंजाब का मामला है। आप इसे और किसी शकल में फिर ले आइयेगा और मैं उस पर गौर कर लूंगा।

श्री युद्धवीर सिंह (महेन्द्रगढ़): इस पर पंजाब के मेम्बरों को बुलाया जाय। जिनके नाम दर्ज हैं उनको तो बुलाया ही जाय।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, अब इस पर मैं और ज्यादा वक्त नहीं दे सकता।

श्री हुकम चन्द कछवाय: अध्यक्ष महोदय ने यह परम्परा चलाई है कि जिनके नाम में नोटिस आया है उन सब को सवाल पूछने का मौका दिया जायगा... .

अध्यक्ष महोदय: मैं कई दफे कह चुका हूँ कि जब नाम बहुत ज्यादा हों तो हर एक मेम्बर को बुलाना लाजिमी नहीं है। काफ़ी वक्त हम ने इस पर खर्च किया है। अब हम प्रीविलेज मोशन ले रहे हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय: कल राध ने एक कॉलिग अटेंशन नोटिस पर जिसमें 34 नाम दर्ज थे उन सभी 34 के चौतीसों को मौका दिया था तो फिर आज सब को मौका क्यों नहीं दिया जाता है?

अध्यक्ष महोदय : अब इस पर माननीय सदस्यों को ज़िद नहीं करनी चाहिए।

श्री बड़े : कल 34 के 34 लोगों को मौका दिया गया था तो आज भी जितने नाम उसमें दर्ज हैं उन सभी को सवाल पूछने दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : 34 के 34 लोगों को मौका दे दिया था जब समय था लेकिन आज 40 मिनट पहले ही इस पर खर्च हो चुके हैं और हमें यह भी देखना चाहिए कि हम कितना वक्त खर्च करते हैं वाकी चीजों पर। इस पर काफी बहस हो चुकी है। अब कार्यवाही आगे चलनी चाहिए। श्री रामसेवक यादव।

श्री गुलशन : हमें एक सवाल करने दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : श्री किसी शक्य में आप इस मामले को पेश करिये।

There is another Calling Attention notice about Cambodia and Laos. That will be taken up at 5-45 P.M. today in the afternoon. Shri Ram Sewak Yadav.

श्री बूटा सिंह (मोगा) : कैसे आयेगा ? पंजाब के मैम्बर्स को सवाल पूछने का मौका दिया जाय।

श्री बागड़ी (हियार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पहले एक व्यवस्था का सवाल सुन लिया जाय।

Shri Khadilkar (Khed): May I rise on a point of order?

Mr. Speaker: Shri Ram Sewak Yadav.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य बट जायें। मैं इस को नहीं ले सकता हूँ।

श्री बागड़ी : आप समय तो नहीं दे सकते लेकिन आप के पास कोई नीति होगी, कोई कायदे-कानून होंगे, जिन के अनुसार आप चलते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री रामसेवक यादव को बुलाया है। मुझे उन को सुन लेने दीजिए। श्री बागड़ी के पार्यट आफ़ आर्डर के बारे में मुझे इत्तिला मिली हुई है। मैं बाद में उस को सुन लूंगा।

श्री बूटा सिंह : मेरा भी एक : बमिशन है।

अध्यक्ष महोदय : वह बात अब खत्म हो गई है। अब आप मुझे आगे चलने दीजिए। मैंने श्री रामसेवक यादव को बुलाया है।

एक माननीय सदस्य : यह गलत तरीका है।

एक माननीय सदस्य : यह कानून का उल्लंघन है।

12.41 hrs.

RE: QUESTION OF PRIVILEGE

श्री रामसेवक यादव (बारांबंकी) : अध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को इसी सदन में भारत सेवक समाज के प्रवक्ता के अख़्तबारी बयान को लेकर जो उन्होंने लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन के खिलाफ़ दिया था, एक चर्चा चली थी। उस प्रवक्ता ने भारत सेवक समाज के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर जो कुछ भी टीका टिप्पणी की थी, उस को अध्यक्ष महोदय आप ने विशेषाधिकार हनन माना था। उस को इसलिए छोड़ दिया गया, क्योंकि उस से सम्बन्धित व्यक्ति, श्री चांदीवाला, ने आप को लिख कर एक तरह से माफ़ी मांग ली थी।